



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3 -Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136]  
No. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## विदेश संज्ञालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल 1983

सां०का०नि० 325(अ)--पासपाट अधिनियम 1967 (1967 का  
वि०का०) की धारा 24 द्वारा पदनाम पंक्तियों का प्रयोग करने हेतु केन्द्र  
सरकार, इसका द्वारा, पासपाट नियम वर्ष 1980 में आगे मशाराधन करने  
के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है यथा --

1 (1) ये नियम पासपाट (मशासत) नियम वर्ष 1983 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में लागू हों  
जायेंगे।

2 पासपाट नियमावली 1980 का अनुसूची 1 में --

(1) क्रम सं० 2 के सामने कालम (3) के अन्तगत लिखा शब्द  
'त्रिपुगा' जटा लागू हों निकाल दिया जाए,

(2) क्रम सं० 5 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित  
प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, यथा --

1	2	3
"5(1) (क) क्षेत्रीय पासपाट अधिकारी मद्रास (क्षेत्रीय पासपाट एवं उत्प्रेषण कार्यालय मद्रास)	तमिलनाडु का राज्य (तजावूर, तिरुचिरापल्ली पुडुकाट्टाई मद्रास, र मनाथपुगम तिरुनेलवेल्लि और कन्याकुमारी के जिलों का छोडकर) और पाडिचेरी मद्रास राज्य क्षेत्र (मद्रास जिला का छोडकर)	
(ख) राज्य पासपाट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपाट एवं उत्प्रेषण कार्यालय मद्रास)।		—वही—
(ग) जन संपर्क अधिकारी मद्रास क्षेत्रीय पासपाट एवं उत्प्रेषण कार्यालय मद्रास)।		—वही—
(घ) अधीक्षक मद्रास (क्षेत्रीय पासपाट एवं उत्प्रेषण कार्यालय मद्रास)।		—वही—

